भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *32
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत धनराशि जारी न किया जाना

***32. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत धनराशि जारी न किए जाने के संबंध में अनेक राज्य सरकारों ने चिंता व्यक्त की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मनरेगा के बजट आबंटन में विगत वर्षों से लगातार कमी दिखाई दे रही है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उक्त योजना को बंद करने पर विचार कर रही है और यदि हां , तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>दिनांक 22.07.2025 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 32 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। इस योजना के तहत , केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जाता है।

सामग्री और प्रशासनिक घटकों के संबंध में , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करने के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत करने होते हैं। केंद्र सरकार समय-समय पर दो भाग में निधियां जारी करती है , प्रत्येक भाग में एक या एक से अधिक किश्तें होती हैं , जो "सहमत" श्रम बजट, कार्यों की मांग , प्रारंभिक जमा, निधियों के उपयोग की गति , लंबित देनदारियों, समग्र प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रस्तुति के अधीन होती हैं।

वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में (दिनांक 17.07.2025 तक की स्थिति अनुसार) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 44,323 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है , जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए निधियां शामिल है।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए बजट आवंटन के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹86,000 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है, जो कि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक बजट अनुमान (बीई) स्तर पर इस योजना के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन था। वित्त वर्ष 2025-26 में, सरकार ने इस आवंटन को ₹86,000 करोड़ पर बनाए रखा है, जिससे ग्रामीण रोज़गार के लिए निरंतर सहायता सुनिश्चित होता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि योजना की मांग-आधारित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए , ग्रामीण विकास मंत्रालय जमीनी स्तर पर रोज़गार की मांग पर सूक्ष्म दृष्टि रखता है और आवश्यकता पड़ने पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों की मांग करता है।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। योजना के मुख्य उद्देश्यों जैसे कि रोजगार की गारंटी देने , निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करने , गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करने , सामाजिक समावेश न को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करने और पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु योजना के कार्यान्वयन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।